

फारम-VIII - क
कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत
भवन की योजना के अनुमोदन
उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 491 तिथि- 24.07.2017 के संदर्भ में

मेसर्स आर0डी0 इको डेवलपर्स प्रा0 लि0, एच/ओ0- सत्येन्द्र कुमार सिंह, मैनुपुरा, पटना-13। श्री प्रभात कुमार सिन्हा, पिता-स्व0 शिवराज सिन्हा, पता-जनकधारी लाल रोड, पो0-दानापुर, थाना-दानापुर

- (क) आवासीय भवन के निर्माण
- (ख) ☒ व्यवसायीक भवन के निर्माण
- (ग) भवन के पुनःनिर्माण
- (घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
- (ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के 4.9.1. प्लॉट नं0- 1410(P), खाता नं0- 171, तौजी नं0-5399, थाना नं0- 21, मौजा-दानापुर, पता-थाना-दानापुर, जिला- पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0-.9.7./17-18 है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल 1419.16 वर्ग मीटर एवं SB+G+4 की स्वीकृति दी जाती है:-

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से व्यवसायीक प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 451.31 वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 12.19 मी0 चौड़ाई के अनुमोदित पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ

नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र में 103.32 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(ञ) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

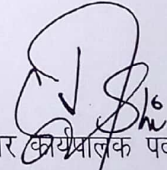
(ट) अन्य शर्त

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

570 —
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत
०५/११/१७

ज्ञापांक:-97...../दिनांक:- ...18/11/2017

प्रतिलिपि:- मेसर्स आर0डी0 इको डेभलपर्स प्रा0 लि0, एच/ओ0- सत्येन्द्र कुमार सिंह, मैनपुरा, पटना-13।
श्री प्रभात कुमार सिन्हा, पिता-स्व0 शिवराज सिन्हा, पता-जनकधारी लाल रोड, पो0-दानापुर,
थाना-दानापुर को सूचनार्थ प्रेषित।


नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत
०५/११/१७